उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
अपील संख्या – 192 सन् 2010

द. ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड .....अपीलकर्ता

बनाम

राम सिंह व अन्य .....प्रत्यर्थी

श्री वी0 के0 कोहली वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक द्वारा आई0 पी0 कोहली अपीलकर्ता के अधिवक्ता
श्री एस0 के मण्डल अधिवक्ता एवं श्री वी0 एस0 कोरंगा प्रतिवादी सं0 01 व 02 के अधिवक्ता/दावाकर्ता
तामीली के उपरान्त भी प्रतिवादी सं0 03 और 04 उपस्थित नहीं।

दिनांक 15 नवम्बर, 2018

माननीय लोकपाल सिंह, जे.

यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतगर्त, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण/जिला जज बागेश्वर के एम0ए0सी0टी0 वाद संख्या 08 सन् 2009 दिनांक 27.03.2010 के निर्णय के विरूद्ध की गयी है। दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार कर अपीलार्थी ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को निर्देशित किया गया है कि वह 11,62,720/– रूपये एक माह के भीतर वादी दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करे अन्यथा दावाकर्ता दावा प्रस्तुत करने की तिथि से असल भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

2– मामले के तथ्य इस प्रकार हैं दिनांक 17.05.2009 को भागीरथी देवी (मृतका) वाहन पंजीकरण सं0 यू0ए0 05–4268 समय करीब 02:15 बजे बारात से वापस आ रही थी और उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण भराणी टैक्सी स्टैण्ड के पास खाई में गिर गया। फलस्वरूप भागीरथी देवी की मृत्यु मौके पर ही हो गयी। घटना के समय, मृतका प्राइमरी स्कूल मेहनारबुंगा में सहायक अध्यापक थी और 14,478 रूपया मासिक वेतन प्राप्त कर रही थी। मृतका अपने माता–पिता की एक मात्र पुत्री थी। उसके माता–पिता अपनी पुत्री पर ही आश्रित थे। उपरोक्त कथनों के साथ दावाकर्ता ने विपक्षीगण से 30,25,000 रूपये की धनराशी हेतु उक्त क्लेम पिटिशन प्रस्तुत की है।

3– प्रत्यर्थी सं0 01 एवं 02 प्रश्नगत वाहन के स्वामी और ड्राईवर है। उन्होनें मामले का प्रतिवाद किया और पृथक जवाबदावा प्रस्तुत कर पिटिशन के अधिकतम अभिकथनों को अस्वीकार किया। उन्होंने कथन किया कि घटना तेजी व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण नहीं हुई है। उन्होनें यह भी कहा कि यदि ट्रिब्यूनल इस निर्णय पर पहुंचती है कि दावाकर्ता क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं तब इन्शोयेरेन्स कम्पनी उक्त क्षतिपूर्ति देने के लिये उत्तरदायी है। घटना की तिथि को प्रश्नगत वाहन इन्शोयेरेन्स कम्पनी से बीमित था तथा वाहन के कागजात भी वैध थे।

4– अपीलार्थी ऑरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत वाहन मोटर वाहन अधिनियम की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था। यह भी कथन किया कि क्लेमेन्ट और वाहन स्वामी ने दुरभिसंधि कर यह याचिका प्रस्तुत की है, यह खारिज होने योग्य है।

5— पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने निम्न लिखित वाद बिन्दु विरचित किये।

1. क्या दिनांक 17.05.2009 को समय 02:15 पी0एम0 में भराडी टैक्सी स्टैण्ड, थाना कपकोट जिला बागेश्वर में वाहन सं0 यू0ए0 05/4268 तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिस कारण यात्री कुमारी भागीरथी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो प्रभाव.
2. क्या प्रश्नगत वाहन मोटर वाहन अधिनियम की शर्तों के अनुसार वैध कागजात के साथ चलाया जा रहा था ? यदि हां, तो प्रभाव.
3. क्या दावाकर्ता क्षतिपूर्ती पाने के अधिकारी है तो किस पक्षकार से ?
4. क्या दावाकर्ता किसी क्षतिपूर्ती प्राप्त करने का हकदार हैं ?

6— तत्पश्चात पक्षकारों के द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। दावाकर्ता की ओर से पी0डब्ल्यू0 01 राम सिंह पी0डब्ल्यू0 02 खुशाल सिंह और पी0डब्ल्यू0 03 संजीवन परीक्षित कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में दावाकर्ता ने चिक एफ0आई0आर0, मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर की नकल , पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतका की वेतन पर्ची और पूछताछ रिर्पोट प्रस्तुत की। दावाकर्ता ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जबकि वाहन के सम्बन्ध में विपक्षी सं0 02 ने दस्तावेजी साक्ष्य में बीमा पालिसी की प्रति, परमिट, कर प्रमाण पत्र, चालान प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये। विपक्षी सं0 03 ने भी सूची 32ग से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये।

7— उभयपक्षों को सुनने के पश्चात और सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से अधिकरण ने यह निर्णय और अवार्ड पारित किया।

8— अपीलार्थी इन्श्योरेन्स कंपनी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उपस्थित आकर सर्वप्रथम यह कथन किया कि दावेदार मृतक के माता—पिता हैं और वह मृतका पर आश्रित नहीं हैं। ट्रिब्यूनल ने गलत तरीके से मुआवजा दिया है। अधिक से अधिक वे आश्रित पर निर्भरता के आधार पर पारम्परिक धनराशी पाने के हकदार थे।

9—विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दावेदारों को अधिकतम मुआवजा दिया गया है, ट्रिब्यूनल को आश्रितों के उम्र पर गुणांक लागू कर मुआवजा निर्धारित करना चाहिये था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निम्नलिखित विधिक निर्णय प्रस्तुत किया शक्ति देवी बनाम न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड आदि, 2010 (2) यू0डी0 527. उक्त निर्णय के पैरा 12 में उल्लिखित है कि

'' 12—जहां तक वर्तमान मामले का सम्बन्ध है कि घटना के समय मृतक की उम्र 22 साल थी और वह विवाहित नहीं थी। वह अपने घर पर जनरल स्टोर चला रहा था और अपने व्यवसाय से लगभग 1000 रूपया मासिक कमा रहा था। सरला वर्मा में इस न्यायालय ने कहा कि जहां मृतक स्वरोजगार करता था, न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय लेगी। वहां से प्रस्थान केवल विशेष परिस्थितियों वाले दुर्लभ और असाधारण मामलों मे किया जाना चाहिये। क्या वर्तमान मामले में विशेष परिस्थितियां शामिल हैं ? हमारे विचार में, यह है। ऐसा साक्ष्य आया है कि मृतक को अपने पिता की सेवा निवृति के बाद वन विभाग में नौकर मिलनी थी। यह स्वाभाविक तौर इसका साक्ष्य भारत सराकर की नीती पर आधारित है। इस प्रकार मृतक को निकट भविष्य में सरकारी नौकरी की उम्मीद थी। परिस्थितियोंवश मृतक की वास्तविक आय मृत्यु के समय संशोधित करने की आवश्यकता है और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, हमारी राय में मृतक की मासिक आय 2000 रूपये तय की जानी चाहिये। जहां तक व्यक्तिगत खर्चो का सम्बन्ध है, क्योंकि मृतक का विवाह नहीं हुआ था, हम सतुंष्ट

हैं कि सरला वर्मा[3] में कहा गया है कि 50 प्रतिशत धनराशी अविवाहित के व्यक्तिगत और रहने के खर्चों में माना जाना चाहिये, लागू किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाय तो निर्भरता की वार्षिक हानि 12000 रूपया है, जहां तक गुणांक का सम्बन्ध है ट्रिब्यूनल ने 8 के गुणांक को लागू किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 18 के गुणांक को, मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुये, लागू करना चाहिया था। ऐसे मामले में जहां दावेदार की उम्र मृतक की उम्र से अधिक है, वहां दावेदार की उम्र को ध्यान में रखना चाहिये न कि मृतक की उम्र को ध्यान में रखना चाहिये। ऐसा इसलिये है कि क्योंकि गुणांक का चुनाव मृतक या दावेदार की आयु, जो भी अधिक हो, द्वारा निर्धारित किया जाता है। दावेदार की सही उम्र रिकार्ड में नहीं आयी है। एडब्ल्यू 01 (पंकज कुमार सिन्हा) के साक्ष्य में आया है कि उसके बयानों की तिथि पर दावेदार की उम्र लगभग 63 वर्ष थी। एडब्ल्यू 01 के बयान की तिथि उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना सन् 1991 में घ ाटी और ट्रिब्यूनल के फैसले की तारीख 06 जून 2000 है। सामान्यतः ट्रिब्यनल को साक्ष्य पूरा होने के बाद ज्यादा समय नहीं लगता। हम मान सकते हैं कि एडब्ल्यू 01 का साक्ष्य सन् 1998 या सन् 1999 में कहीं दर्ज किया गया था। यदि ऐसा है, तो दुर्घटना की तारीख पर दावेदार की उम्र लगभग 54–55 वर्ष होगी। इसलिये सरला वर्मा3 तैयार की गयी तालीका के अनुसार 11 का गुणांक लागू होगा। निर्भरता की वार्षिक हानि (12,000/– रूपये) को 11 के गुणांक से गुणा करने पर, दावेदार 1,32,000 रूपये की धनराशि में मुआवजे का हकदार हो जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा 60,000 रूपया मुआवजा निर्धारित किया और अपील में उच्च न्यायालय ने पुष्टि गलत रूप से की और इसे बढाकर 1,32,000 रूपया कर दिया।

10– विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय ओरिएण्टल इश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम बचन सिंह आदि 2016 (2) यू0डी0 456. प्रस्तुत किया

11– इसके विपरीत दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित आकर ट्रिब्यूनल के अवार्ड/निर्णय का समर्थन किया और यह कथन किया कि दावेदारों को दिया गया मुआवजा अत्यधिक नहीं है। मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया। वाद बिन्दु सं0 01 पर ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष पाया कि दावेदार राम सिंह ने खुद को पी0डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षीत कराया और पी0डब्ल्यू0 02 खुशाल सिंह को परीक्षीत कराया जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उक्त गवाह ने अपनी गवाही में कहा कि वह भी शादी में शामिल होने गया था। दिनांक 17.05.2009 को मृतक अन्य लोगों के साथ शादी से लौट रहा था और एक वाहन में यात्रा कर रहा था जिसका चालक वाहन को बहुत ही तेजी व लापरवाही से चला रहा था। तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और खाई में गिर गया। वह वाहन के पिछली सीट में बैठा था और अचानक झटका लगने से वाहन के बाहर गिर गया और उसे कोई चोट नहीं आयी। इस हादसे में कुमारी भागीरथी और एक अन्य की मृत्यु हो गयी। ट्रिब्यूनल ने यह भी अभिलिखत किया कि विपक्षी सं0 01 एवं 02 ने भी अपने जवाबदावे में दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया है। इसके अलावा, एफ0आई0आर0, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र जो दावा कर्ताओं द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में दाखिल किया है, से भी दुर्घटना साबित होती है। सबूतों के आधार पर ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना जल्दबाजी व लापरवाही के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप दावेदारों की बेटी की मौत हो गयी। ट्रिब्यूनल के द्वारा साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद वाद बिन्दु स0 01 पर निष्कर्ष दर्ज किये हैं और इसलिये हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।

12 मैंने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

13 वाद बिन्दु संख्या–01 पर ट्रिब्यूनल ने यह निकर्ष निकाला है कि दावेदार राम सिंह ने स्वयं को पी0डब्ल्यू–01 के रूप में एवं पी0डब्ल्यू–02 के रूप में खुशाल सिंह जो इस घटना का चश्मदीद साक्षी है, को परिक्षित कराया। इस गवाह ने अपनी गवाही में कहा कि वह भी शादी में गया था। दिनांक 17.05.2009 को मृतक

अन्य लोगों के साथ शादी से लौट रही थी और जिस वाहन में यात्रा कर रही थी, उसके चालक द्वारा वाहन बहुत उतावलेपन व लापरवाही से चलाया जा रहा था। तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गहरी खाई में गिर गया। वह वाहन की पिछली सीट पर बैठा था और अचानक झटका लगने से वह बाहर गिर गया, जिससे उसे उक्त दुर्घटना में कोई चोट नहीं आई। उक्त दुर्घटना में कुमारी भागीरथी और एक अन्य की मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल ने यह भी अभिलिखित किया गया कि विपक्षी संख्या–01 व 02 ने अपने जवाबदावे में दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया है। इसके अलावा, एफ0आई0आर0, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, जो दावाकर्ताओं द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, से भी दुर्घटना साबित होती है। साक्ष्य के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना तेजी व लापरवाही के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार की पुत्री की मृत्यु हो गई। ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद वाद बिन्दु संख्या–01 पर निष्कर्ष दर्ज किये। इसलिये हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

14 वाद बिन्दु संख्या–02 पर ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि हालांकि बीमा कम्पनी (अपीलार्थी) ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया है कि प्रश्नगत वाहन को बिना किसी वैध कागजात के चलाया जा रहा था और मालिक ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन विपक्षी संख्या 03 ने अपने कथनों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत विपक्षी संख्या 02 वाहन स्वामी ने परमिट, बीमा पॉलिसी आदि को यह दर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया है कि वाहन के सभी कागजात वैध थे और घटना की तिथि पर वाहन अपीलकर्ता बीमा कम्पनी से बीमाकृत था। साक्ष्य के आधार पर ट्रिब्यूनल ने वाद बिन्दु संख्या 02 को विपक्षी संख्या 1 व 3 के पक्ष में तय किया है। ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद वाद बिन्दु संख्या 02 पर निष्कर्ष दर्ज किये हैं इसलिये कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15 वाद बिन्दु संख्या 3 व 4 के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि दावेदारों ने यह दावा किया है कि मृतका एक सहायक शिक्षक थी और प्राथमिक विद्यालय मेहनारबुंगा में पढ़ाती थी और उसकी मासिक आय मु0 14,478/– रूपये थी। अपने कथनों को साबित करने के लिए दावेदारों ने मृतका का वेतन प्रमाण पत्र दायर किया और पी0डब्ल्यू–03 राम संजीवन को परिक्षित कराया, जिसने मृतक के वेतन प्रमाण पत्र को साबित किया। वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक को 11360/–रूपये शुद्ध मासिक वेतन मिल रहा था और इस तरह मृतक की गणना की गई वार्षिक आय 1,36,324/–रूपये थी। मृतका अविवाहित थी, ट्रिब्यूनल ने 50 प्रतिशत की कटौती की और इस प्रकार आश्रितों की वार्षिक हानि @ 68,160/–का आंकलन किया। इसके अलावा परिवार रजिस्टर के आधार पर ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 32 वर्ष थी और तदानुसार मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची के दृष्टिगत ''17'' का गुणांक लागू किया। इस तरह ट्रिब्यूनल ने कुल क्षतिपूर्ति की गणना 11,58,720/–रूपये के रूप में की। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने अन्तिम संस्कार के खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए 4000/–की राशि प्रदान की।

16 अब यह न्यायालय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिये गये पहले तर्क पर विचार करेगा, जो यह है कि दावेदार मृतक पर निर्भर नहीं थे। मृतक, जो सरकारी नौकरी में थी और 11360/–रूपये प्रतिमाह वेतन के रूप में प्राप्त कर रही थी, अवश्य ही अपने परिवाार के भरणपोषण और अस्तित्व के लिए अपनी आय का एक हिस्सा या सम्पूर्ण आय का योगदान कर रही होगी। मृतक की उम्र करीब 32 वर्ष थी और वह दुर्घटना की तिथि को अविवाहित थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सामान्यतः भारतीय समाज में लड़कियों का विवाह 30 वर्ष की आयु तक कर लिया जाता है, लेकिन वर्तमान मामले में मृतका 32 वर्ष की आयु में

भी अविवाहित थी, जो इस बात का संकेत है कि मृतका ने विवाह नहीं किया था क्योंकि उसके माता पिता उस पर आश्रित थे। अविवाहित बेटी की आय में लैंगिक भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसका उद्देश्य वास्तविक दावों के मामलों में पीड़ितों या उनके परिवार को राहत प्रदान करना है। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क में कोई बल नहीं है और एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

17 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाये गये दूसरे तर्क के सम्बन्ध में गुणंक मृतक की उम्र पर लागू होगा, मैं इस तर्क में कोई बल नहीं पाता। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गुणंक विधि के उपर्युक्त विधि है, जिसको छोड़ना केवल विरल और असाधारण परिस्थितियों में ही न्यायोचित ठहराया जा सकता है और बहुत असाधारण रूप से माननीय सर्वोच्च ने सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एस0सी0 121 में विशेष रूप से माना कि गुणंक का विकल्प मृतक की उम्र से निर्धारित किया जाना चाहिए।

18 जहां तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क की दावेदारों को अत्यधिक मुआवजा दिया गया है कि यह तर्क गलत है। मृतक स्थायी नौकरी में थी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने भविष्य की सम्भावनाओं के लिए मृतक की वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं की है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल द्वारा अन्तिम संस्कार एवं मानसिक पीड़ा के लिए 4000/—रूपये की मामूली धनराशि का आदेश दिया है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल द्वारा सशर्त ब्याज लगाया है, जबकि दावा दाखिल करने की तिथि से याचिका पर ब्याज दिया जाना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में मेरी राय में, राष्ट्रीय बीमा कम्पनी बनाम प्रणय सेठी, ए0आई0आर0 2017 एस0सी0 5157 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए मुआवजे में वृद्धि का मामला होता, लेकिन किसी भी अपील के मामले में मुआवजे को इस सिद्धान्त पर नहीं बढ़ाया जा सकता है कि एक अपीलकर्ता को उसकी स्थिति से बदतर स्थिति में नहीं लाया जा सकता यदि उसने अपील दायर करने का जोखिम नहीं उठाया होता।

19 उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील में कोई मैरिट नहीं है। इसलिये अपील खारिज की जाती है।

20 वैधानिक धनराशि, उस पर उचित ब्याज सहित यदि कोई हो, सम्बन्धित ट्रिब्यूनल को भेजा जाय। निचली अदालत का रिकॉर्ड भी वापस भेजा जाय।

21 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकारों को अपना खर्च स्वंय वहन करना होगा।

(लोकपाल सिंह, जे0)

15.11.2018